

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला

टी० ए० मिस वाद संख्या 130B/2016-17

कालू रजक बनाम सुधा कुमारी

:: आदेशः

दिनांक


पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

अभ्युक्ति

21.07.18

अभिलेख उपस्थापित। बिक्रेता कालू रजक पिता स्व० सुशेन रजक, ग्राम-तिरिलडीह, थाना-गम्हरिया, जिला-सरायकेला-खरसावां ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता सुधा कुमारी पति श्री विजय कुमार रजक, ग्राम-तिरिलडीह, थाना-गम्हरिया, जिला-सरायकेला-खरसावां को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये थे। न्यायालय द्वारा निर्गत सूचना एवं आवेदन का अंचल अधिकारी द्वारा कोई प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। आवेदक पक्ष की ओर से कोई पैरवी या रुचि नहीं लिया गया। एवं क्रेता का जाति आवासीय अप्राप्त है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक का यथा आवश्यकता पूर्ण हो गयी है।

अतः ऐसे स्थिति में वाद को निस्तार किया जाता है। आवेदक यदि चाहे तो पुनः आवेदन समर्पित कर सकते है।

  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
सरायकेला।